

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रशासन गांवों के संग-2021

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>झातपुर</u> पं०मं० <u>झातपुर</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>झातपुर</u> तहसील- <u>झातपुर</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	445	110 112	1.9473 0.0506	दिनेश पुत्र बंशीधर हिस्सा - 1/5 जाति-भाली आ. देह खातदार	दिनालाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/5 जाति-भाली आ. देह खातदार		
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का <u>झातपुर</u> भू०अ०नि० <u>झातपुर</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	प०हल्का <u>झातपुर</u> भू०अ०नि० <u>झातपुर</u> राजस्व अधिकारी <u>.....</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जाये। सहायक कलेक्टर आबरोड (सिरोही) ह० उपखण्ड अधिकारी
दिनांक	पटवारी (भू.अ.) ह० <u>.....</u> महोदय, <u>.....</u> तह. - आबरोड (सिरोही)		ह० भू०अ०नि० <u>.....</u>	ह० राजस्व अधिकारी <u>.....</u>			